296
10

प्रलेख का नाम – [illegible] मालियत [illegible] स्टाम्प कि० [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति (i) भूमि – कृषि / आवासीय / अनावासीय / औद्योगिक

(ii) भवन – आवासीय / अनावासीय / औद्योगिक / [illegible] / दुकान

कुल विक्रीत क्षेत्रफल : 0-400 हैक्टेयर अनु. वार्षिक किराया / लगान [illegible]

स्थिति ग्राम अहमदपुर पाडला व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर।

आच्छादित क्षेत्रफल भूतल × प्रथम तल × द्वितीय तल ×

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है/नहीं है निर्माण की श्रेणी ×

दि.इ.उ.ए. सीमा से [illegible] है स्थिति ×

मासिक किराया निर्धारण दर प्रति वर्ग मी. × दर रेट [illegible] प्रति हेक्टेयर [illegible]

निर्माण का वर्ष – × [illegible] रेट सूची पृष्ठ 37 क्रमांक 17/[illegible]

विक्रीत सम्पत्ति – (i) [illegible] मार्ग पर है।

(ii) [illegible] मार्ग पर है/नहीं है

स्टाम्प – [illegible] रुपये।   दिनांक [illegible]

मैं कि रणवीर सिंह पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम अहमदपुर पाडला व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर का हूँ (विक्रेता)
PAN [illegible]

जो कि विक्रेतागण / विक्रेता अपनी [illegible] के पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति विवरण निम्नलिखित को कि जो हर प्रकार के भार बाधाओं से मुक्त है तथा जिसको विक्रय आदि करने का किसी अन्य से कोई अनुबन्ध आदि नहीं है [illegible] समस्त अधिकारों सहित अपनी राजी खुशी एवं स्थिर बुद्धि की दशा में अंकन [illegible] लाख [illegible] हजार रुपये में [illegible] पब्लिक स्कूल [illegible] अहमदपुर पाडला व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर द्वारा [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम अहमदपुर पाडला व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर (क्रेता)

[illegible signature]   [illegible signature]

वैध 7,20,000/

[illegible]

श्री/श्रीमती रणवीर सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश

कोठी [illegible] फतेहाबाद [illegible]

दिनांक 12-1-2010

4/5

[signature] 2-01-10

विजेन्द्र सिंह

Raman

श्री रणवीर सिंह विक्रेता उक्त ने श्री [illegible] मार्किट कमेटी सचिव समिति फतेहाबाद द्वारा आज [illegible] रणवीर सिंह पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी फतेहाबाद [illegible]

7,20,000/- [illegible]

रविन्द्र कुमार S/o [illegible] सिंह निवासी [illegible]

अमित सिंघल [illegible]

[signature] 2-01-10

Raman Raman

[signature] [illegible]

[signature] 2-01-10

के हाथ विक्रय कर दी। और कुल मूल्य राशि इस लेखपत्र के सम्पादन से पूर्व —

क्रेतागण/क्रेता से नकद/द्वारा चैक/द्वारा ड्राफ्ट/प्राप्त कर कब्जा व दखल विक्रित सम्पत्ति पर क्रेतागण/क्रेता का करा दिया। अब विक्रेतागण/विक्रेता का कोई अंश विक्रित सम्पत्ति में शेष नहीं रहा और क्रेतागण/क्रेता पूर्ण रूप से उसकी विक्रित सम्पत्ति के/का/की हो गये/हो गया/हो गई। यदि भविष्य में विक्रेतागण/विक्रेता/अथवा वारिसान/आदाहन/अल्पवयस्क उपरोक्त के स्वामित्व के किसी ओर या अन्य किसी कार्यवाही से कोई अंश विक्रित सम्पत्ति क्रेतागण/क्रेता के स्वामित्व से निकल जाए या कोई भार अथवा भार जारी सरकारी या किसी का वाजिबात विक्रित सम्पत्ति पर देय निकले या दाखिल खारिज न हो तो विक्रेतागण/विक्रेता/अथवा वारिस जिम्मेदार होगा/होंगे/होगी/होंगी और क्रेतागण/क्रेता को अधिकार वसूली करने आदि का विक्रेतागण/विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अदालत द्वारा मय हर्जे व खर्चे अदालती के हर तौर हासिल होगा। अतः यह बयनामा लिख दिया प्रमाण रहे। ऐसे समस्त तथ्य जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं सत्यतापूर्वक इस दस्तावेज में दर्ज किये गये हैं।

विवरण विक्रित सम्पत्ति

भूमि कृषि रकबा 0.400 [illegible] खाता संख्या 318 [illegible] 27 [illegible] 1417-1422 के [illegible] लगान विक्रित भूमि का [illegible] स्थित ग्राम [illegible] तहसील नवाबगंज जिला [illegible]। विक्रेता ने कुल भूमि 1.530 है० के [illegible] 1/4 भाग [illegible] विक्रय की है। [illegible] रोड, [illegible] भूमि पर [illegible]

Rajan

Rajan

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 296373

व कर्जों से पाक व साफ प्रॉपर्टी उक्त प्रॉपर्टी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3 JAN [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 296372

कोई निर्माण, पेड़, बाउण्ड्री व बोरिंग नहीं है

[illegible signature] [illegible signature]

JAN

[illegible] 11380 [illegible] 11810

[illegible]

13-12-12

सुशीला

[illegible]

सुशीला

Ramu

Ramu

के हाथ विक्रय कर दी। और कुल मूल्य राशि 5।। लेखपाल [illegible]

क्रेतागण/क्रेता से नकद/ड्राफ्ट/चैक द्वारा भुगतान प्राप्त कर कब्जा व दखल विक्रीत सम्पत्ति पर क्रेतागण/क्रेता का करा दिया। अब हमारा/मेरा कोई अंश विक्रीत सम्पत्ति में शेष नहीं रहा और क्रेतागण/क्रेता पूर्ण रूप से स्वामी विक्रीत सम्पत्ति के/का/की हो गये/हो गया/हो गई। यदि भविष्य में हमारे/मेरे/असल मालिक/उत्तराधिकारी/स्थानापन्न उत्तरदेय के स्वामित्व के किसी दोष या अन्य किसी कार्यवाही से कोई अंश विक्रीत सम्पत्ति क्रेतागण/क्रेता के स्वामित्व से निकल जाए या कोई भार अथवा ऋण आदि सरकारी या किसी का वाजिबुल अदा विक्रीत सम्पत्ति पर शेष निकले या दाखिल खारिज न हो तो हम/मैं/असल मालिक जिम्मेदार होगा/होंगे/हूंगा/हूंगी और क्रेतागण/क्रेता को अधिकार पहुंची मालिये अपने का हमारी/मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अदालत द्वारा मय हर्जा व खर्चा अदालती के हर तौर हासिल होगा। अतः यह बैनामा लिख दिया प्रमाण रहे। ऐसे समस्त तथ्य जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं सत्यतापूर्वक इस दस्तावेज में दर्ज किये गये हैं।

विवरण विक्रित सम्पत्ति

जो कि रकबा 0.3965 हेक्टेयर [illegible] पाँच हैक्टे० लगान 1.58 है। [illegible] खसरा नम्बर 218 [illegible] [illegible] खतौनी नम्बर 27 [illegible] 1417-1422 फ० के अनुसार स्थित ग्राम मझलापुर परगना व तह० जलालाबाद जिला कन्नौज। उक्त भूमि 0.3965 हैक्टेयर में विक्रेता रणवीर सिंह ने अपना समस्त भाग व विक्रेता [illegible] ने अपने [illegible] 1/2 भाग में 1/2 भाग [illegible] उक्त भूमि की [illegible] की [illegible] [illegible] 50% [illegible] स्टाम्प [illegible] उक्त भूमि [illegible]

सुशीला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 593524

के गवाहों व पुत्र का [illegible] से [illegible]

सुशीला

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.6000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 593525

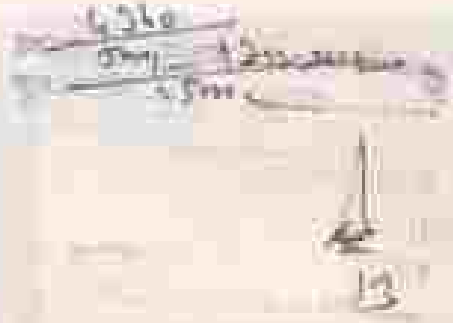

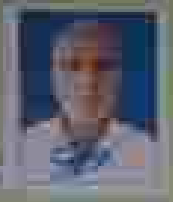

बैनामा ५,३६,०००/-
[illegible]

[illegible] १०,००० [illegible] ३०/- [illegible] १००२४ [illegible] ६०

[illegible] सिंह [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सिंह

[illegible] ३.२०१४

मैं [illegible] उक्त [illegible] ने [illegible] पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

रहे हैं

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सिंह

[illegible] ३.२०१४

[illegible]

[illegible]

के हाथ विक्रय कर दी। और कुल मूल्य राशि [illegible]

क्रेतागण/क्रेता से बजरिये/द्वारा चैक/ड्राफ्ट/नकद प्राप्त कर कब्जा व दखल विक्रित सम्पत्ति पर क्रेतागण/क्रेता का करा दिया। अब हमारा/मेरा कोई अंश विक्रित सम्पत्ति में शेष नहीं रहा और क्रेतागण/क्रेता पूर्ण रूप से स्वामी विक्रित सम्पत्ति के/का/की हो गये/हो गया/ हो गई । यदि भविष्य में हमारे/मेरे व अन्य मालिक/अधूरा/आवश्यकतानुसार उपरोक्त के स्वामित्व से किसी कोर्ट या अन्य किसी कार्यवाही से कोई अंश विक्रित सम्पत्ति क्रेतागण/क्रेता के स्वामित्व से निकल जाए या कोई भार अथवा ऋण आदि सरकारी या किसी का पूर्णतया विक्रित सम्पत्ति पर शेष निकले या दाखिल खारिज न हो तो हम/मैं/अथवा मालिक जिम्मेदार होंगा/होंगे/होगा/होगी और क्रेतागण/क्रेता को अधिकार वसूली कराने अपने या हमारी/मेरी की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अदायगी मय हर्जा व खर्चा अदालती के हर तौर हासिल होगा। अतः यह बयनामा लिख दिया प्रमाण रहे। ऐसे समस्त तथ्य जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है सत्यतापूर्वक इस दस्तावेज में दर्शा दिये गये है। उक्त विक्रित सम्पत्ति बाग तालाब, नलकूप, कुआँ, वृक्ष, पशु व पट्टे आदि की नहीं है।

विवरण विक्रित सम्पत्ति

जो कि रकबाई 0.169 हेक्टेयर [illegible] हैक्टेयर भूमि [illegible] 1/2 भाग कि रकबाई 1.265 एकड़ [illegible] पांच हैक्टेयर भूमि [illegible] खाता नम्बर 210 की चौहद्दी खसरा नम्बर 55 [illegible] फसली वर्ष 1417-1422 के अनुसार स्थित ग्राम [illegible] परगना व तहसील [illegible] जिला [illegible] । उक्त भूमि की [illegible] में [illegible] होने के नाते [illegible] से [illegible] है। उक्त भूमि का [illegible]

[illegible] वाली [illegible]

होता है, जिसके अनुसार [illegible] निबन्ध-

शुल्क [illegible] गये हैं [illegible]

में अपूर्ण [illegible] किया।

उप निबन्धक

नजीबाबाद

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 736362

प्रमा के भार कर्म व शुल्क वाद विवाद

नरेन्द्र सिंह